

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/23 पार्ट

जयपुर, दिनांक

08/8/26

:आदेश:

राज्य सरकार की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को देय मासिक रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस/ड्राफ्टिंग एवं सेंटलिंग चार्जेज/विविध खर्चों की दरों के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये उक्त दरों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

S.No.	Name of Post	Retainership Per Month		Per Day appearance fees		Drafting and Settling Charges per month		Misc. Expenses Per cases	
		Present Rate as per order dated 07-09-22	Revised Rate agreed by FD	Present Rate as per order dated 07-09-22	Revised Rate agreed by FD	Present Rate as per order dated 07-09-22	Revised Rate agreed by FD	Present Rate as per order dated 23-03-22	Revised Rate agreed by FD
1	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	24,200/-	32,000/-	750/-	1,000/-	1,200/-	1,200/-	600/-	750/-
2	विशिष्ट लोक अभियोजक	24,200/-	32,000/-	750/-	1,000/-	1,200/-	1,200/-	-	-
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	21,200/-	28,000/-	750/-	1,000/-	1,200/-	1,200/-	600/-	750/-

- इन विधि अधिकारियों को देय Retainership की दर में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रावधानों को समाप्त किया जाता है।
- इन विधि अधिकारियों (लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक) को विधिक राय की फीस (Opinion Fees) देय नहीं होगी।
- Retainership, per day appearance fees, Drafting & Settling Charges and Misc. Expenses (सिविल प्रकरणों में फोटो कॉपी, टंकण चार्जज, वकालतनामा इत्यादि) में संशोधित दरे आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

उक्त आदेश वित्त(व्यय-5)विभाग की आई0डी0संख्या 102600275 दिनांक 18.05.2026 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

sd
(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि(वादकरण)।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग।
- 5 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 6 समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
- 7 समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक राजस्थान।
- 8 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 9 उपनिदेशक (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर), विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10 रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कुमार मलिक
(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि